न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह विशेष न्यायाधीश, बक्सर।

SC/ST Case No-41/2021

सरकार

बनाम

मानोज उपाध्याय पिता–ताकेश्वर उपाध्याय, अखिलेश उपाध्याय पिता– सुशील उपाध्याय, मंटू उपाध्याय उर्फ विदयाकान्त उपाध्याय पिता– ललन उपाध्याय, निलेश कुमार उपाध्याय पिता–बंशिधर उपाध्याय, अभिषेक उपाध्याय पिता– रामकुमार उपाध्याय, रवि रंजन उपाध्याय पिता–ललन उपाध्याय, काशी पाण्डेय उर्फ शिवम पाण्डेय पिता–जवाहर पाण्डेय

[ईटाढी थानाकाण्ड सं0–120/2021]

28.08.2021 आवेदकगण मानोज उपाध्याय पिता–ताकेश्वर उपाध्याय, अखिलेश उपाध्याय पिता–सुशील उपाध्याय, मंटू उपाध्याय उर्फ विदयाकान्त उपाध्याय पिता–ललन उपाध्याय, निलेश कुमार उपाध्याय पिता–बंशिधर उपाध्याय, अभिषेक उपाध्याय पिता–रामकुमार उपाध्याय, रवि रंजन उपाध्याय पिता–ललन उपाध्याय, काशी पाण्डेय उर्फ शिवम पाण्डेय पिता–जवाहर पाण्डेय जो दिनांक 25.08.2021 से ईटाढ़ी थानाकाण्ड सं0–120/2021, अन्तर्गत धारा **147, 148, 149, 341, 323, 354(A), 379, 504, 506** भा0दं0वि0 एव 27 शस्त्र अधिनियम तथा **3(1)(r)(s)(w1)/3(2)(va)** अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम में न्यायिक अभिरक्षा में हैं, की ओर से ई0मेल0 प्रस्तुत जमानत आवेदन दिनांक 26.08.2021 पर आवेदकगण के विद्वान् अधिवक्ता श्री कृपा शंकर राय एवं विपक्षी विद्वान् विशेष लोक अभियोजक श्री शिवकुमार राम को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुना।

आवेदकगण के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण पूर्णतया निर्दोष हैं और उन्हें प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदकगण के द्वारा पूर्व में अग्रिम जमानत दाखिल किया गया था जिसे पोषणीय नही होने के कारण श्रीमान् के द्वारा खारिज किया जा चुका है इसके अलावा आवेदकगण की ओर से पूर्व मे कोई जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल किया गया है। आवेदकगण के विरुद्ध कोई विशिष्ट अभियोग नहीं है तथा आवेदकगण की ओर से पलटा मुकदमा ईटाढ़ी थानाकाण्ड सं0–121/2021 इस मामले के सूचक एवं अन्य पर पंजीकृत हुआ है। आवेदकगण द्वारा आरोपित कोई अपराध कारित नहीं किया गया है तथा आवेदक दिनांक 25.08.2021 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं, ऐसी स्थिति में आवेदकगण को जमानत पर मुक्त किये जाने की याचना करते हैं।

विद्वान् विशेष लोक अभियोजक ने आवेदन उपरोक्त का घोर विरोध किया।

सूचक हृदय नारायण राम पिता स्व0 भागीरथी राम, साकिन सुकरवलिया, थाना ईटाढ़ी, जिला बक्सर के लिखित आवेदन पर प्रस्तुत मामले की प्राथमिकी उपरोक्त धाराओं में पंजीकृत की गई है।

अभियोजन का संक्षेप में कथन है कि दिनांक 29.03.2021 को संध्या 05:00 बजे सूचक के गॉव के काशी पाण्डेय, अमीत उपाध्याय, बुलन्दु उपाध्याय, लालू उपाध्याय, मन्टू उपाध्याय, मनोज चौबे, अनंत उपाध्याय, अरविन्द उपाध्याय आकर सूचक की बेटी–बहन को धर–पकड़ करने लगे तो सूचक ने इसका विरोध किया तो उक्त सभी लोग मारपीट करने लगे और बोले कि चमार–सियार तुमलोग ज्यादा काबिल बन रहा है। हल्ला पर इसी बीच हथियार, भाला व तलवार के साथ शशिधर उपाध्याय, उमाशंकर, वीरू उपाध्याय, शेषनाथ उपाध्याय, अभिषेक उपाध्याय, रवि उपाध्याय, राजेन्द्र उपाध्याय, मनोज उपाध्याय, निलेश उपाध्याय, मणि उपाध्याय, अमन उपाध्याय, धुनधुन उपाध्याय, अखिलेश उपाध्याय, झुन्ना उपाध्याय, रवि उपाध्याय व पवन उपाध्याय आये और अपने हाथ में लिये हथियार से 40–50 राउण्ड फायरिंग किये और बकिया लोग भाला, तलवार से मारपीट किये। उक्त लोगों औरतों के साथ झोंटा नोचकर मारपीट किये, जिससे

लगातार :–

रूकमनिया देवी, मौली देवी, लायो देवी, किशनावती देवी, बचमुनिया देवी, आरती देवी तेतरी देवी को दवा के लिए सदर अस्पताल, बक्सर भेजा गया। सूचक हृदय नारायण राम, रामजी राम, राजेश राम, मुखिया राम, प्रमोद राम का कपार फट गया। रामजी राम के पॉकेट से पॉच हजार रुपया शेषनाथ उपाध्याय ने निकाल लिया तथा दशरथ राम के गर्दन से लॉकेट अरविन्द उपाध्याय निकाल लिया। उक्त लोगों ने धमकी भी दिया कि पुलिस के पास जाओगे तो पेट्रोल जलाकर फूंक देंगे।

प्राथमिकी एवं वाद दैनिकी के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त हैं, आवेदकगण और अन्य सह अभियुक्तों के विरुद्ध कथित घटना दिनाक 29.03.2021 को सूचक के मुहल्ले में नाजायज मजमा बनाकर हरवे हथियार से लैश होकर आने एव मारपीट कर जख्मी करने तथा देशी कट्टा से फायर करने एव रामजी राम के पॉकेट से पॉच हजार रुपया तथा दशरथ राम के गर्दन से लॉकेट ले लिये जाने का अभियोग है। वाद दैनिकी की कण्डिका–11 व 12 मे साक्षीगण राजकुमार राम एवं सुग्रीव राम ने होली के अवसर पर कीचड़ खेलने को लेकर पक्षो मे विवाद होने एव मारपीट की घटना होने की बात कहा है। वाद दैनिकी की कण्डिका–32, 33, 34, 35 व 36 में जख्मीगण हृदयनारायण राम, प्रमोद कुमार राम, राजेश राम, मुखिया राम एवं रामजी राम का जख्म प्रतिवेदन है, जिसमें उन्हें साधारण किस्म की ठोस पदार्थ से पहुँचाई गई चोटें पाये जाने का उल्लेख है। यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रस्तुत वाद का पलटा वाद 121/2021 आवेदकगण की ओर से भी इस मामले के सूचक एवं अन्य पर उसी घटना दिनांक व समय को लेकर पंजीकृत हुआ है, ऐसी स्थिति में वर्तमान स्तर पर यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता कि कथित घटना का आक्रामक पक्ष कौन था। घटना के स्थान से कोई भी गोली का खोखा बरामद नहीं हुआ है। इस वाद के अन्य सह अभियुक्त मनोज चौबे, धुनधुन उपाध्याय, पवन उपाध्याय को दिनांक 15.04.2021 एवं 06.08.2021 को बुलंदू उपाध्याय इस न्यायालय द्वारा जमानत दी गई है। आवेदकगण दिनांक 25.08.2021 से ही न्यायिक अभिरक्षा में हैं, ऐसी उपरोक्त परिस्थितियों में आवेदकगण को मो0 10,000/– रूपये के बंध पत्र एवं उतनी ही राशि के कुल दो प्रतिभू, यथोचित न्यायशुल्क के साथ, दाखिल करने पर इस शर्त के साथ जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश दिया जाता है कि दौरान अनुसंधान न तो अभियोजन साक्षियो को प्रभावित करेंगे और न ही अभियोजन साक्ष्य को मिटाने का प्रयास करेंगे तथा दौरान विचारण मामले की प्रत्येक तिथियों पर उपस्थित रहकर विचारण में सहयोग करेंगे और अकारण अग्रिम दो नियत तिथियों पर अनुपस्थित रहने पर आवेदकगण का बंध–पत्र स्वत खण्डित समझा जायेगा।

लेखापित

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम
–सह–विशेष न्यायाधीश (एस सी/एस टी, एक्ट),
बक्सर

पश्चात

28.08.2021 आवेदकगण मानोज उपाध्याय पिता–ताकेश्वर उपाध्याय, अखिलेश उपाध्याय पिता–सुशील उपाध्याय, मंटू उपाध्याय उर्फ विदयाकान्त उपाध्याय पिता–ललन उपाध्याय, निलेश कुमार उपाध्याय पिता–बंशिधर उपाध्याय, अभिषेक उपाध्याय पिता–रामकुमार उपाध्याय, रवि रंजन उपाध्याय पिता–ललन उपाध्याय, काशी पाण्डेय उर्फ शिवम पाण्डेय पिता–जवाहर पाण्डेय के तरफ से मो0 10,000/– रूपये का बंध–पत्र, अडर टेकिंग, जरूरी दस्तावेज विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दाखिल किया गया जिसे जॉचोपरान्त स्वीकृत किया जाता है। कागीलग मुक्ति आदेश कारा भेजे।

लेखापित

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश (एस सी/एस टी, एक्ट), बक्सर